

**न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)**

पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 29/2025

बउनवान

सरकार जर्ज्य संदीप झांकल, प्रवर्तन अधिकारी, (छबड़ा)

( प्रार्थी )

बनाम

श्री चंद्रप्रकाश सुमन पुत्र श्री रामप्रसाद, निवासी नदी दरवाजा के पास छबड़ा, जिला बारां

( अप्रार्थी )

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत

उपस्थिति :- 1. पेरोकार रसद

( प्रार्थी )

**निर्णय दिनांक 16.05.2025**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04.03.2025 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढ़ते व्यावसायिक दुरुपयोग की शिकायत के क्रम में प्रार्थी धरनावदा चौराहा छबड़ा के पास स्थित सुमन रेस्टोरेंट पर पहुंचे मौके पर चंद्रप्रकाश सुमन पुत्र श्री रामप्रसाद, निवासी नदी दरवाजा के पास छबड़ा, उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग किया जाना पाया गया। इसलिये द्रवित पेट्रोलियम गैस ( प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन पाये जाने पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर मौके पर जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स निधि एचपी गैस एजेन्सी छबड़ा की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर एकपक्षीय बहस पेरोकार रसद की सुनी गई।

दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा एक गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते हैं कि जप्तशुदा HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 969508, का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डर की सिक्योरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/- रूपये यानि एक गैस सिलेण्डर की कुल 2500/- रूपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को वापस लौटाया जावे। यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नहीं लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियंत्रण प्राप्त करें एवं



जिला कलक्टर  
बारां (राज०)

शुद्ध गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को संचालक मैसर्स निधि एचपी गैस एजेन्सी छबड़ा को कीमत पर दिया जाकर उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



*(Signature)*  
( रोहिताश्व सिंह तोमर )  
जिला कलेक्टर  
बारा (राज.)

F  
2

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

विवरण	मूल्य (₹)	कुल मूल्य (₹)
गैस सिलेण्डर	1500	1500
गैस	20	20
कुल		1520

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*